BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 402/2024

IN THE MATTER OF:
GHIRRAU LAL MISHR & ORS.

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	STATUS REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, GONDA	
2.	A COPY OF THE STATUS REPORT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-1**	
3.	A COPY OF LETTER DATED 24.04.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-2**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

DATE: 29.04.2025
PLACE: GONDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 402/2024

IN THE MATTER OF:
GHIRRAU LAL MISHR & ORS.

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

STATUS REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, GONDA

I, Neha Sharma, aged about 40 years, W/o Shri Darpan Amravanshi, currently posted as District Magistrate, Gonda, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, Neha Sharma, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.

2. That the present matter pertains the determination/demarcation of the Flood Plain Zone of Tedhi River to identify and assess the encroachment in the flood plain area.

3. That the Hon'ble Tribunal vide Order dated 18.10.2024 directed the District Magistrate to ensure the demarcation and identification of the flood plain zone of River Tedhi and submit a compliance Report.

4. That in compliance of directions issued by the Hon'ble tribunal dated 18.10.2024, the Deponent has duly submitted the compliance report dated 15.01.2025 and Further Action Taken Report dated 04.03.2025, apprising the Hon'ble Tribunal of the actions taken.

5. That in furtherance of the above- mentioned reports filed, current status report of delineation of the Flood Plain Zone (FPZ) of Tedhi River is submitted herein.

A copy of the status report is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

6. That for the delineation of the FPZ of River Tedhi, a letter was addressed to the Director, National Institute of Hydrology (NIH), Roorkee, Uttarakhand, requesting the Institute's technical expertise and a proforma invoice for the concerned work. Pursuant thereto, an amount of Rs. 29.50 lakhs, being

100% of the quoted cost, was paid to NIH, Roorkee on 27.03.2025 (UTR No- RBI0872535009993). NIH, Roorkee has provided a progress report (page no. 97 of the Compliance Report by the Deponent dated 15.01.2025, available on the Judicial Record). Furthermore, request for 1-meter contour high resolution DEM data has been made by the NIH.

7. That the 1 meter contour DEM data is to be provided by the Survey of India (SOI). Therefore, as per the directions issued by the Deponent, a video conference dated 11.03.2025 was conducted with the officials of the Survey of India by the Irrigation Department, Gonda to discuss the subject and request the early commencement of the survey work.

NOTARY Ambikeshwar Pratap Singh GOVT. OF UTTAR PRADESH

8. That for providing the 1-meter contour DEM data, an amount of Rs. 134.64 lakhs was paid to the Survey of India on 17.03.2025 (UTR No.- RBI0772504637984) against the cost proposed by the Director, U.P. Geospatial Directorate, Gomtinagar, Lucknow. In addition, the Survey of India has already provided GIS data with a contour interval of 3 to 5 meters, which has been shared with NIH, Roorkee. The 1-meter contour interval maps and high-resolution DEM will be made available by the Survey of India after completion of the drone survey.

9. That to facilitate the required high-resolution DEM for the flood plain delineation, a drone survey was initiated on 03.03.2025 by the team of SOI deployed on the Tedhi River. However, shortly after commencement, the drone was damaged, resulting in a temporary halt to the survey. Subsequently, the Executive Engineer, Saryu Drainage Division-I, Gonda, contacted the Survey of India to request immediate resumption of the survey.

10. That the Survey of India has recommenced the drone survey work from 22.03.2025. The Executive Engineer, Saryu Drainage Division-I, Gonda vide letter dated 22.04.2025 has requested the SOI to provide progress report of the drone survey. The Director, U.P. Geospatial Directorate, Gomtinagar, Lucknow (Survey of India) vide their letter dated 24.04.2025 has informed that out of the total area of 480 sq. km. of the Tedhi River, approximately 300 sq. km. has been surveyed. However, due to a technical fault in the drone, the survey work has been interrupted for the past week. Upon completion of the survey, the data will be made available by the end of June 2025.

A copy of letter dated 24.04.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2.**

11.Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

12.I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY
Ambikeshwar Pratap Singh
GOVT. OF UTTAR PRADESH

DEPONENT

जिलाधिकारी
गोण्डा

VERIFICATION

Verified at Gonda on this 28 day of April., 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Solemnly Affirmed
Declared before me
On 28/04/25

Ambikeshwar Pratap Singh
Notary Collectorate, Gonda

DEPONENT

जिलाधिकारी
गोण्डा

संख्या-538 /25-27-सिं०-4-क न 1835553

प्रेषक

रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 25 अप्रैल, 2025

विषय : ओ0ए0 संख्या 402/2024 घिर्राऊ लाल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश व् अन्य में मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-339/मु०अ०(जा०सं०)अनिमं-1/अनिख-3, दिनांक 24.04.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा ओ0ए0 संख्या 402/2024 घिर्राऊ लाल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश व् अन्य मे मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2024 के अनुपालन में अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

2. प्रश्नगत वाद में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2024 के अनुपालन में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की अनुपालन आख्या निम्नवत है:-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या ओ०ए०-402/2024 धिर्राऊ लाल व अन्य बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2024 के अनुपालन में जनपद गोण्डा में टेढी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण की वर्तमान स्थिति-

1- टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोनिंग के सम्बन्ध में निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, उत्तराखण्ड को पत्र लिखकर इस सम्बन्ध में संस्थान की विशेषज्ञता तथा विषयगत कार्य हेतु प्रोफार्मा इनवाइस की वाँछना की गयी थी, जिसके क्रम में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की (NIH) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव धनराशि रू0 29.50 लाख के सापेक्ष 100 प्रतिशत धनराशि रू०. 29.50 लाख का भुगतान दिनांक 21.03.2025 को किया जा चुका है. तत्पश्चात राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा टेढ़ी नदी का फ्लड प्लेन के सीमाकंन कार्य की प्रगति आख्या उपलब्ध करायी गई है। प्रगति आख्या में NIH, Roorkee द्वारा उक्त कार्य हेतु अन्तिम आख्या जून 2025 तक उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया है। टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोनिग हेतु NIH, Roorkee ने हाई रिजोल्यूशन Digital Elevation Model (DEM) की वांछना की है, जिसे सर्वे ऑफ इण्डिया (निदेशक यू०पी० भू-स्थानिक निदेशालय गोमतीनगर, लखनऊ) के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2- जिलाधिकारी गोण्डा, द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में दिनांक 11.03.2025 को सर्वे ऑफ इण्डिया के अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फेन्सिंग के माध्यम से उक्त विषय पर चर्चा की गई तथा सर्वे कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध किया गया।

NOTARY Ambikeshwar Pratap Singh Advocate H.Q. ... R.No. ... GOVT. OF UTTAR PRADESH

3-01 मीटर हाई रिजोल्यूशन Digital Elevation Model (DEM) उपलब्ध कराने हेतु निदेशक यू०पी० भू-स्थानिक निदेशालय गोमतीनगर, लखनऊ के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव धनराशि के सापेक्ष धनराशि 134.64 लाख का भुगतान सर्वे आफ इण्डिया को दिनांक 15.03.2025 को किया जा चुका हैं। उक्त के अतिरिक्त सर्वे आफ इण्डिया ने 03 से 05 मी० कन्टूर इन्टरवल का जी०आई०एस० डेटा उपलब्ध करा दिया है जिसे NIH, Roorkee को उपलब्ध कराया जा चुका है। 01 मी० कन्टूर इन्टरवल का मैप एवं हाई रिजोल्यूशन Digital Elevation Model (DEM) ड्रोन सर्वे के बाद सर्वे आफ इण्डिया के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

4- टेढी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु आवश्यक हाई रिजोल्यूशन DEM हेतु ड्रोन सर्वे का कार्य दिनांक 03.03.2025 को टेढ़ी नदी पर सर्वे हेतु लगाई गई टीम द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था, परन्तु कुछ ही देर बाद ड्रोन क्षतिग्रस्त हो गया एवं सर्वे कार्य अवरूद्ध हो गया, तत्पश्चात अधिशासी अभियन्ता सरयू ड्रेनेज खण्ड प्रथम, गोण्डा द्वारा सर्वे आफ इण्डिया के कार्यालय में सम्पर्क कर तत्काल कार्य का प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध किया गया था। सर्वे आफ इण्डिया के द्वारा दिनांक 22.03.2025 से ड्रोन सर्वे का कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया। निदेशक भू-स्थानिक निदेशालय गोमतीनगर लखनऊ यू०पी० (सर्वे आफ इण्डिया) ने अपने पत्र संख्या-1579/39-C-ED(Court Case), दिनांक 24.04.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि टेढ़ी नदी के कुल 480 वर्ग कि० मी० के क्षेत्र में से लगभग 300 वर्ग किमी० का ड्रोन सर्वेक्षण किया जा चुका है। ड्रोन में तकनीकी खामी आ जाने से यह कार्य विगत एक सप्ताह से बाधित है। सर्वेक्षण पूर्ण होने के उपरान्त डाटा माह जून. 2025 के अंत तक प्रदान किया जा सकेगा।

3 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत वाद में उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर स्थायी अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिशपथ पत्र तैयार कराकर मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल कराने का कष्ट करें। उक्त वाद में मा0 अधिकरण में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता (सरयू-।) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, अयोध्या को अधिकृत किया गया है।

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by भवदीय,
Rama Kant Verma
Date: 25-04-2025 14:17:35
(रमा कान्त वर्मा)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठाकन संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) मुख्य अभियंता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) मुख्य अभियंता (सरयू-1), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अयोध्या ।

आज्ञा से,

(रमा कान्त वर्मा)
संयुक्त सचिव।

Annexure-2

ANNEXURE-2

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

टेली-फैक्स/Tele-fax – 0522-2720634
दूरभाष/Telephone-0522-2720638
ई-मेल@E-mail: up.gdc.soi@gov.in (Tech)
upgdc-lko@up.nic.in (Admn)

निदेशक का कार्यालय/Office of Director
भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India
मानचित्र भवन/Manchitra Bhawan
उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय (उत्तरी क्षेत्र)
Uttar Pradesh G.D.(Northern Zone)
5, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ -226010(उ0प्र0)
5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

पत्र सं0 त- 1579/39-C-ED(Court case) दिनांक:- 24/04/2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सरयू ड्रेनज खण्ड प्रथम, जनपद- गोण्डा।
(ईमेलः- eesaryudrainagekhand1@gmail.com)

विषयः- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ ए संख्या - 402/2024 घिर्राऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद - गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण के संबंध में।

संदर्भः- 1. आपके कार्यालय का पत्रांक- 354/स0ड्रे0ख0गो0/एन.जी.टी. दिनांक 22/04/2025
2. इस कार्यालय के पत्र संख्या त-1246/39-C-ED (Court case) दिनांक 26/03/2025

महोदय,

उपरोक्त विषय व आपके संदर्भित पत्र के अनुक्रम में अवगत कराना है कि टेढ़ी नदी के कुल 480 वर्ग किमी के क्षेत्र में से लगभग 300 वर्ग किमी0 का ड्रोन सर्वेक्षण किया जा चुका है। ड्रोन में तकनीकी खामी आ जाने से यह कार्य विगत एक सप्ताह से बाधित है। इसे शीघ्र पूर्ण कर सर्वेक्षण का कार्य फिर से शुरू किया जायेगा। सर्वेक्षण पूर्ण होने के उपरांत डाटा माह जून-2025 के अंत तक आपको प्रदान किया जा सकेगा।

उपरोक्त आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(पवन कुमार द्विवेदी)
अधिकारी सर्वेक्षक/तकनीकी अधिकारी
कृते निदेशक

प्रतिलिपिः- अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली कैंट को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम,
जनपद–गोण्डा।
पिन–271001,
ईमेल–eesaryudrainagekhand1@gmail.com

प्रेषित,

निदेशक,
यू0पी0 भू–स्थानिक निदेशालय,
गोमतीनगर लखनऊ।

पत्रांकः– 359 / स0ड्रे0ख0प्र0गो0 / एन0जी0टी0 / दिनांक– 22/04/25

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में वाद संख्या ओ0ए0–402 / 2024 धिर्राऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु आप द्वारा आवश्यक हाई रिजोल्यूशन DEM उपलब्ध कराने हेतु टेढ़ी नदी पर सर्वे का कार्य दिनांक 22.03.2025 को प्रारम्भ किया गया था, आज दिनांक 22.04.2025 तक आपके द्वारा कराये गये सर्वेक्षण कार्य की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए हाई रिजोल्यूशन DEM डाटा तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिसे उक्त डाटा NIH, रूड़की को प्रेषित किया जा सके। उक्त प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन है एवं अगली सुनवाई की तिथि 30.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) नियत है जिसमें अब तक की अद्यतन प्रगति से मा0 न्यायालय को अवगत कराये जाने के निर्देश उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये है।

अतः उक्त कार्य को समयान्तर्गत शीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करें तथा हाई रिजोल्यूशन DEM उपलब्ध कराने हेतु पुनरीक्षित टाइमलाइन भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम,
गोण्डा

पत्रांकः– / स0ड्रे0ख0प्र0गो0 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. जिलाधिकारी महोदया, गोण्डा।
2. मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना–प्रथम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अयोध्या।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पचंदशम मण्डल सिंचाई कार्य, गोण्डा।

अधिशासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम,
गोण्डा